

चालू ही आवेदक द्वारा जिन ख. नं० 739, 740
 से होकर रास्ता चाड़ा गया है उनके खातेदार
 को भी प्रकरण में पड़ना नहीं बनाया गया है
 प्रकरण में तहसीलदार निवाड़ी निवाड़ी द्वारा
 वाडग्राम भूमि पर पहुंच हेतु मौजे पर रास्ता
 चालू होना अवगत कराया है। प्रकरण सम्बन्ध
 काश्तकारी अधिनियम 1935 की धारा 25A (क)
 के तहत लगाया गया है जिले में डिप्टी डायरी
 भूमि पर पहुंच हेतु मार्ग नहीं देने पर रास्ता
 उपलब्ध करने बाबत प्रावधान है किन्तु प्रकरण
 में प्राप्त रिपोर्ट से वाडग्राम भूमि पर पहुंच
 हेतु रास्ता होना एवं मौजे पर चालू होना
 स्पष्ट अंकित है तहसीलदार को अपनी
 रिपोर्ट में प्रकरण विस्तार करने की अनुशंसा
 की है प्रकरण में सम्बन्धित काश्तकारी अधिनियम
 1935 की धारा 25A (क) उल्लेख हो रहा है अतः
 मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार निवाड़ी के प्रकरण
 खारिज किया जाता है पत्रावली क्रम सं. 1
 होकर नम्बर ले कम की जाऊट कायम
 दफ्तर हो।


 उपखण्ड अधिकारी
 निवाड़ी (टांक)